



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 22 मार्च, 2013 ई0
चैत्र 01, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-6

संख्या 177/XXVII(6)/2013
देहरादून, 22 मार्च, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9, सन् 1932) की धारा 71 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड भारतीय भागीदारी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भारतीय भागीदारी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 है।
 - (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- नियम 14 का संशोधन
- यू0पी0 इण्डियन पार्टनरशिप रूल्स, 1933 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।